[illegible]

[illegible] के प्रकरणों

हुते जाने बाबत पेश किया गया [illegible] बहस [illegible]

पर लिया जाता है। विचाराधीन प्रकरणों न्यायालय

जो में विचाराधीन प्रकरणों में से सबसे पुराना

प्रकरण है वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्येक तारीख

पेशी पर बहस हेतु समय चाहा गया जो न्याय

हित में उनको दिये जा चुके हैं। वादी के अधिवक्ता

इस विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक

विलंब पैदा करना चाहते हैं अतः इस प्रार्थना पत्र

से वाद-पत्र को अनावश्यक लम्बित किये जाने की मन्शा

से पेश किये जाने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय द्वारा आदेश O-17 R-2 सी.पी.सी. के

विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए इस विचाराधीन

प्रकरण का विधिवत रूप से निस्तारण किया जाना उचित

समझते हैं। बहस अन्तिम प्रतिवादी सुनी गई।

वास्ते निर्णय पत्रावली 27-3-19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

27-3-19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उभयपक्ष उपस्थित

निर्णय सुनाया गया वादी का वाद-पत्र खारिज

किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखया

जाकर शामिल फाईल किया गया तदनुसार

पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुदा होकर

बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 76 / 2007

पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 26.10.2007

गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. श्रवण लाल आयु 60 साल आ0 श्री श्रीराम उर्फ सरिया जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी राज0

– वादी –

बनाम

1. कन्हैया लाल आयु 62 साल आ0 श्री फून्दी लाल जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी राज0
2. रेखराज आ0 श्री रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

2/1 प्रेम शंकर पुत्र श्री रेखराज जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ

2/2 नन्द किशोर पुत्र रेखराज माली निवासी निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ

2/3 सुनिता बाई पुत्री रेखराज जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ

2/4 घींसी बाई बेवा रेखराज जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ

3. ओम प्रकाश आयु 38 साल पुत्र श्री रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा
4. नृसिंह लाल आयु 38 साल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा
5. एलचीराम आयु 32 साल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा
6. रामनारायणी आयु 60 साल बेवा रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा
7. माधो लाल आयु 58 साल आ0 श्री श्रीराम उर्फ सरिया जाति, माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ हाल निवासी हरीमार्ग सिविल प्लाट नम्बर 132 जयपुर राज0
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी
9. सम्पत कुमार आयु 38 साल आ0 श्री राजमल महाजन निवासी देई जिला बूंदी
10. बृजसुन्दर आयु 32 साल आ0 श्री देवी शंकर जाति खाती निवासी देई जिला बूंदी राज0।
11. मेहमूद अली आयु 25 साल आ0 श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देई पोल नैनवा जिला बूंदी
12. मोहम्मद सईद आयु 32 साल आ0 हाजि मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा राज0।

–: प्रतिवादीगण :–

वाद–अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

निर्णय

दिनांक :– 27.03.2019

वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 49रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.10 हैक्टयर वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। जिसको दिनांक 23 फरवरी 1924 को चन्द्रा आत्मज मोती माली ने महाराजा श्री सुमेरसिंह तत्कालीन दरबार इन्द्रगढ से 200 रू कलदार की एवज में क्रय की गई थी और कब्जा भूमि प्राप्त किया था। चन्द्रा आत्मज मोती के एक पुत्र श्रीराम उर्फ सरिया हुआ। सरिया की मृत्यु हो चुकी है। सरिया जी के दो पुत्र वादी श्रवण व प्रतिवादी संख्या 7 माधोलाल, वादी व उसका भाई अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहें थे। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम बिना किसी क्षैत्राधिकार के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का वाद विषयक आराजी में कोई अधिकार निहित नही है। वादी उसके पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा था। इसलिये वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक बन चुका है। सन् 1975 से 12 वर्ष पूरे होने के पश्चात सन् 1987 में ही वादी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2000 को निष्पादित किया गया है। वह पूर्णतः शून्य व कानूनी रूप से बेअसर है। अन्त में प्रार्थना की गई वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 की और से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वैधानिक है। कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित कराने का अधिकार वादी को नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 में दिनांक 06.12.2000 को वाद विषयक आराजी का विक्रय जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को किया जा ुका है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण तस्दीक किया जा चुका है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी का दावा कानूनन पोषनीय नही है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 03.09.2004 को एक पक्षीय कार्यवही अमल में लाई गई। दिनांक 11.02.2005 वादी का दावा अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज होने के बाद रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र 06.10.2007 को स्वीकार किया गया। अभय पक्षों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। वादी की और से अपने मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये जमाबन्दी सम्वत 2054–2057 प्रदर्श 1, लगान रसीद प्रदर्श 2 व 3, नकल निर्णय दिनांक 20.12.1988 प्रदर्श 4, ऑर्डरशीट प्रदर्श 5 लगा. 8, नकल संशोधित वाद पत्र प्रदर्श 9, मौका रिपोर्ट प्रदर्श 10, ऑर्डरशीट प्रदर्श 11, प्रार्थना पत्र प्रदर्श 12, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2041–2060 प्रदर्श 13, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 14, कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श 15,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

नकल नोटिस प्रदर्श 16, नकल वाद पत्र धारा 188 प्रदर्श 17, जवाब दावा प्रदर्श 18, नकल पटटा प्रदर्श 19, जवाब दावा प्रदर्श 20 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

हमारे द्वारा अभय पक्षों के अभिवचनों एवं साक्ष्यों के आधार पर बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में बार बार बहस करने के लिय अवसर चाहा गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी के अधिवक्ता उक्त प्रकरण का त्वरित निस्तारण के लिये इच्छुक नही है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में सबसे पुराना प्रकरण है। इसलिये न्याय की मन्शानुसार इस प्रकरण का हम गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। इस वाद पत्र का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 1</u> :– आया वाद वर्णित आराजी दिनांक 23.02.1924 को चन्द्रा आत्मज मोती के हक पूर्व खातेदार सुमेरसिंह जी ने 200 रू कलदार प्रतिफल की एवज में विक्रय कर कब्जा सभलाया गया था। इस को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी की रोशनी में हमारे द्वारा वादी की और से मुख्य परीक्षण में प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी की और से ऐसा कोई विक्रय पत्र न तो प्रदर्श करवाया न ही पेश किया गया जिससे यह साबित हो कि दिनांक 23.02.1924 चन्द्रा जी के द्वारा सुमेरसिंह जी वाद विषयक आराजी को क्रय किया गया। इस सम्बन्ध में केवल मात्र वादी की ओर से अपने वाद पत्र में अभिवचन किये गये है। अभिवचनों के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से अभिवचन अपने आप में साबित नही माने जा सकते। भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही सम्भव है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किया गया है। नकल पटटा दिनांक 23.02.1924 प्रदर्श 19 का अवलोकन से उसमें वाद विषयक आराजी के खसरा नम्बर कही अंकित नही है जबकि कृषि भूमि की पहचान खसरा नम्बर से ही की जाती है। इस कारण प्रदर्श 19 से वादी को कोई कानूनन सहायत नही मिल सकती। एवं इस तनकी के समर्थन में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नही किये जाने से यह तनकी आवश्यक दस्तावेजो के अभाव में वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> :– आया वाद वर्णित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आने से कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदार कृषक बन चुके है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी की रौशनी में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राज्य का विशेष कानून जिसमे कब्जा मुखालपाना के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नही है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की लार्जर बैंच के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जाधारी को काश्तकारी अधिकार प्रदान करने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नही है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। वादी की और से विवादित आराजी पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। जिससे यह साबित हो कि वादी का वाद विषयक आराजी निरन्तर कब्जा काश्त रहा हों। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों अनुसार व पूर्व न्यायिक दृष्टान्त आर.एल. डब्लू. 2011 पेज नं0 750 में प्रतिपादित निर्णय अनुसार वादी को खातेदारी अधिकार कब्जा मुखालफाना के आधार पर नही दिये जाने से यह तनकी वादी के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3</u> :– आया वाद वर्णित आराजी का सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम बिना किसी आदेश के दर्ज कर दिया गया। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी की रौशनी में पत्रावली का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

किया गया। वादी की और से यह साबित राजस्व रिकार्ड में नही किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम वाद विषयक आराजी राजस्व रिकार्ड मे किस आधार पर दर्ज किये गये। भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जो इन्द्राज किये गये है वह सही व सत्य है। यह उपधारणा तब तक की जायेगी जब तक इसका कोई खण्डन नही हो। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के सम्बन्ध में कोई खण्डन करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 वाद वर्णित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2000 से प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 के पक्ष में कर दिया गया। जो शून्य एवं प्रभावहीन है जिसके कारण वादी के हितों के विपरित कोई प्रभाव नही पडता है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से इस तनकी को साबित करने के लिये कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान लेखबद्ध नही करवाये गये। अतः साक्ष्य सबूत के अभाव में वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया मृतक सरिया के अन्य वारिसान को वाद में पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नही। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण की और से ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया जिससे साबित हो कि सरिया के अन्य वारिसान भी जीवित है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 7 :– आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा वाद वर्णित आराजी को दिनांक 06.12.2000 को प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 के हक में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन कराकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2000 का अवलोकन किया गया। जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि विक्रयशुदा कृषि भूमि का कब्जा क्रेतागणों को संभला दिया गया है। न्यायालय मतानुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित भाषा के सम्बन्ध में कानूनन उपधारणा है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में जो लिखा गया है वह सही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8 :– आया विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2000 को निरस्त एवं प्रभावहीन घोषित कराये बिना दावा चलने योग्य नही है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दिनांक 06.12.2000 को पंजीकृत कराया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्तमान तक प्रभावशील है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने का क्षैत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। लेकिन वादी की और से ऐसा कोई निर्णय पत्रावली पर पेश नही किया गया। भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के अनुसार दौराने वाद सम्पत्ति हस्तान्तरण होने पर यह दस्तावेज शून्य एवं प्रभावहीन नही होता बल्कि उस दस्तावेज का प्रभाव विचाराधीन वाद के निर्णय पर निर्भर करेगा। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज को शून्य एवं प्रभावहीन करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन करने के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि वादी की और से वाद विषयक आराजी क्रय करने बाबत कोई

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

दस्तावेज पेश नही किया गया। वादी एक तरफ विक्रय पत्र और दूसरी तरफ कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो विरोधाभाषी कथन है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नही है और न ही कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत अपने जवाब दावे के समर्थन में पेश नही किया जाना यह प्रतिवादीगण की कमजोरी हो सकती है लेकिन प्रतिवादीगण की कमजोरी के आधार पर वादी का दावा साबित नही माना जा सकता। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से कानूनी प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुये वादी को अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। सह विधि का प्रतिपादित सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने एवं प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। तनकी संख्या 1 लगायत 4 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं। अतः वादी का वाद पत्र साक्ष्य सबूत क्षैत्राधिकार के अभाव तथा विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ड़िगरी ब मुकद्दमें कार्यवाई
(O 20, Rr 6,7)
(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास गोरधनलाल मीना (R.A.S.)

1 भंवरलाल आत्मज श्रीराम डफ सारिया जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ़-बून्दी (वादी) बनाम 1 कन्हैयालाल आत्मज फुन्दीलाल जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ़-बून्दी वगैरह प्रतिवादीगण क्रमांक 2-10

दावा बाबत 88, 89, 188 R.T.A.

मुकदमा नम्बर 76/दावा/2007 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री बी.के. शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री सुरेशचन्द्र एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद-पत्र खारिज किया जाता है।

निज................ मुबलिग................ बाबत................ खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................ का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-3-2019 माह................ सन................ को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. रेखराज आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी हरपुरा मृतक जरिये कायम मुकामान :

2/1 प्रेमशंकर पुत्र रेखराज जाति माली निवासी हरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी।

2/2 नन्दकिशोर पुत्र रेखराज जाति माली निवासी हरपुरा तहसील इन्द्रगढ़

2/3 बदनिबाई पुत्री रेखराज जाति माली निवासी हरपुरा तहसील इन्द्रगढ़

3. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी हरपुरा तहसील इन्द्रगढ़

4. भूसिहलाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी हरपुरा — " —

5. एकचीराम पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी हरपुरा — " —

6. रामनारायणी बेवा रामनारायण जाति माली निवासी हरपुरा — " —

7. माधोलाल पुत्र श्रीराम उर्फ सारिया जाति माली निवासी हरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवासी हरीमार्ग सिविल प्लाट नम्बर 132 जयपुर (राज.)

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ बून्दी।

9. सम्पतकुमार पुत्र राजमल महाजन निवासी देई जिला बून्दी

10. ब्रजसुन्दर पुत्र देवीशंकर जाति ~~माली~~ खाती निवासी देई जिला बून्दी

11. महमूद अली पुत्र कबीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी देई थाना नैनवा (बून्दी)

12. मोहम्मद सईद पुत्र हाजी मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर कोटा।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी